23/225 हनुमानसिंह vs भगवानसिंह

2023/175

श्री विरेन्द्रसिंह शेखावत व

हनुमान बनाम भगवानी वगैरह (2023/175)

5/6/23

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं को प्रार्थना पत्र स्थगन पर दिनांक 02.06.2023 को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने बताया कि प्रश्नगत आदेश एक नोन स्पीकिंग आदेश है जिसमें कहीं भी अन्तरिम अनुतोष के पक्ष में कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई अपितु केवल मात्र यह लिखा गया है कि प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। मानते हुए अन्तरिम स्थगन पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण औपचारिक पक्षकार है जिनकी तलबी भी अभी तक नहीं हुई तथा इनके विरूद्ध कोई अनुतोष भी अप्रार्थी द्वारा नहीं चाहा गया है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के विरूद्ध पारित आदेश के कारण प्रार्थीगण खातेदार को मिलने वाले लाभ, कृषि ऋण इत्यादि प्राप्त नहीं पा रहे है जिससे प्रार्थीगण को अपार क्षति हो रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थीगण की हद तक स्थगित किया जाना न्यायोचित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। माननीय न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 को प्रार्थीगण की हद तक स्थगित किए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने स्वयं उपस्थित होकर बताया कि यदि अपीलार्थी की हद तक अन्तरिम स्थगन आदेश को वैकेट किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सुना गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित होकर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को वैकेट किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए आगामी पेशी तक तक अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 की क्रियान्विति को आगामी तारीख पेशी तक स्थगित किया जाना न्यायहित में उचित समझते है।

अतः स्थगन आदेश दिये जाते है कि उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2018 की क्रियान्विति आगामी तारीख पेशी दिनांक 14.07.2023 तक स्थगित की जाती है।

अभिभाषक अपीलांट शेष रेस्पोडेन्ट संख्या 02, 3 के रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश करें। रजिस्टर्ड एडी नोटिस पेश किये जाने पर ही प्रमाणित प्रति/तहरीर जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 14.07.2023 को कैम्प कोर्ट दूदू पर पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

यदि अपीलार्थी की विरुद्ध स्थगन मुक्त किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ती नहीं है
भगवानसिंह
2/6/2023
हनुमान सिंह बनाम भगवानसिंह

श्री विरेन्द्रसिंह शेखावत एड. रेस्पो. सं. 2, 3 RD/AD पेश किये।

1/12-13
18/6/23
Reaad
R-2,3
17/6/23

14.7.23 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट व अपीलांट सं. 1, 2 उपस्थित नहीं। रेस्पोडेन्ट सं. 1 भी उपस्थित नहीं। अभिभाषक अपीलांट व अपीलांटस को कई बार रुक-रुक कर आवाज लगाई फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः अपील अपीलांटस की अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से खारिज हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी